प्रेस नोट

दिनांक 14.07.2025, थाना को0देहात

जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध बंदूक बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-318/2025 धारा 109, 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त -01. गोलू तिवारी उर्फ हरी भूषण तिवारी को गोण्डा उत्तरौला मार्ग पर सोनी गुमटी ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के निशादेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध बंदूक बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.07.2025 को वादी श्री राजेश कुमार तिवारी पुत्र संतोष कुमार तिवारी निवासी ग्राम पिपरी सागर थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात को सूचना दिये कि वह जिला अस्पताल गोण्डा में खाना देकर वापस घर आ रहे थे तभी विपक्षीगण पुरानी रंजीश को लेकर जान मारने के नियत से फायर कर दिये व गाली गुप्ता देते हुए भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए जान मारने की धमकी देते हुए चले गये। लिखित तहरीर पर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-318/2025 धारा 109, 352, 351(3) बीएनएस बनाम महेश्वरी तिवारी व गोलू तिवारी के अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 14.07.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त -01. गोलू तिवारी उर्फ हरी भूषण तिवारी को गोण्डा उत्तरौला मार्ग पर सोनी गुमटी ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के निशादेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध बंदूक .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गोलू तिवारी उर्फ हरी भूषण तिवारी पुत्र अरुण तिवारी नि0ग्रा0 पिपरी सागर महादेवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-318/2025 धारा 109, 352, 351(3) बीएनएस तथा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सौरभ कुमार
02. उ0नि0 आनन्द उपाध्याय
03. हे0का0देवानन्द वर्मा
04. का0 संजय कुमार
05. का0 रवि प्रताप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.07.2025, थाना- कौड़िया
जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त राहुल कुमार सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह उर्फ अन्नू सिंह निवासी ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को गोण्डा से बहराइच मार्ग पर सहजनवा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी तेज बहादुर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 पश्चिम पुरवा मौजा जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी जिसमें बताया गया कि दिनांक 19.05.2025 को सुबह लगभग 4.15 बजे, मेरा पुत्र बब्लू उर्फ श्याम अपने मुर्गी फार्म हाउस पर सो रहा था। तभी गांव के कमल बहादुर सिंह, भारत सिंह, अन्नू सिंह उर्फ राजेश सिंह (पुत्रगण अम्बिका सिंह) एवं राहुल सिंह (पुत्र अन्नू सिंह) एकराय होकर वहां आए और पुरानी रंजिश के चलते उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा उसके हाथ-पैर और नाक दबाकर जबरन मुंह में जहर पिला दिया और फरार हो गए। मेरा बेटा किसी तरह घर आया और घटना की जानकारी दी। जिसे तत्काल जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 14.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कौडिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राहुल कुमार सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह उर्फ अन्नू सिंह निवासी ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को गोण्डा बहराइच मार्ग पर सहजनवा के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना कौडिया पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल कुमार सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह उर्फ अन्नू सिंह निवासी ग्राम जेठपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 खुश मोहम्मद खान।
03. का0 श्यामनरायन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.07.2025, थाना परसपुर

जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 155/2025 धारा 85, 80(2), 103(1) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. रमजान अली पुत्र बरकत उल्ला निवासी लच्छनपुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को दुरौनी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी आलादीन पुत्र इनायत अली निवासी गोडवा थाना कटारबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 155/2025, धारा 80(2), 85, 103(1) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम कुदरत आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्त 01. रमजान अली पुत्र बरकत उल्ला निवासी लच्छनपुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को दुरौनी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमजान अली पुत्र बरकत उल्ला निवासी ग्राम लच्छनपुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 155/2025, धारा 80(2), 85, 103(1) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०मिथलेश मिश्रा
02. का0 अखिलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.07.2025, थाना कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, आलाजख्म 01 अदद लाठी बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत में मु0अ0स0- 258/2025, धारा, 109(1), 115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. गुरूचरन पुत्र मुन्नालाल निवासी गड़रियनपुरवा मौजा सोनवार थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर आलाजख्म 01 अदद लाठी बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राघवेन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम डैनियागंज मौजा दत्तनगर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0कर्नलगंज पर सूचना दी गयी कि दिनांक 13.07.2025 को दोपहर में वह कर्नलगंज बाजार से अपने घर आ रहा था कि विपक्षीगण पुरानी रंजीश को लेकर जान मारने की नियत से सिर पर लाठी से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज पर मु0अ0स0- 258/2025, धारा, 109(1), 115(2) बीएनएस बनाम गुरूचरण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.07.2025 को नामजद आरोपी अभियुक्त 01. गुरूचरन पुत्र मुन्नालाल निवासी गड़रियनपुरवा मौजा सोनवार थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर आलाजख्म 01 अदद लाठी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. गुरूचरन पुत्र मुन्नालाल निवासी गड़रियनपुरवा मौजा सोनवार थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 258/2025, धारा, 109(1), 115(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. 01 अदद लाठी (आलाजख्म)

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार
02. उ0नि0 शरद कुमार
03. हे0का0 अरविन्द कुमार राणा
04. का0 माधव मुरारी मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.07.2025, थाना छपिया,
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामदः-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोर 01. शेषराम पुत्र संतोषी निवासी ग्राम खालेगाँव थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0स0 257/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल व 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 14.07.2025 को उ0नि0 तेजनरायन गुप्ता मय फोर्स क्षेत्र भ्रमण, तलाश वारण्टी आदि में भ्रमणशील थे कि सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति अवैध कच्ची शराब मोटरसाइकिल से लेकर कर जमुनहा की तरफ से पिपरही घाट की ओर जा रहा है। उक्त सूचना पर उ0नि0 तेजनरायन मय फोर्स मौके पर पहुचकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति 01. शेषराम पुत्र संतोषी निवासी ग्राम खालेगाँव थाना छपिया जनपद गोण्डा को रोककर तलासी ली गयी तो उसके पास से एक जरिकेन में 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व मु0अ0स0 257/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शेषराम पुत्र संतोषी निवासी ग्राम खालेगाँव थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 258/2025, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0स0 257/2025, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी का मोटरसाइकिल
02. 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 तेजनरायन गुप्ता
02. का0 विश्वजीत सिंह
03. का0 निलेश यादव
04. का0 सतेन्द्र प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।